झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

संख्या :— ख0नि0(चाईबा)— 02/2007 2334 /एम0, राँची दिनांक :— 27-12-10

प्रेषक,

एस0 के0 सोरेंग,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव,
खान मंत्रालय, भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

विषय :— खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) एवं 11(5) के प्रावधानों के तहत सर्वश्री मुकन्द लि0 के पक्ष में मौजा— आराबुरू पी0एफ0,(गिरगा फारेस्ट रेन्ज), जिला पश्चिमी सिंहभूम के 135.00 हेक्टर क्षेत्र पर लौह/मैगनीज अयस्क खनिज के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु पूर्वानुमोदन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा— आराबुरू पी0एफ0,(गिरगा फोरेस्ट रेन्ज) में 135.00 हेक्टर गैर विज्ञापित क्षेत्र पर लौह /मैगनीज अयस्क खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु विभिन्न तिथियों में प्राप्त खनन पट्टा आवेदन पत्रों के आलोक में सभी आवेदकों को खनिज समनुदान नियमावली,1960 के नियम 26 के प्रावधानों के तहत् सुनने एवं पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया एवं सुनवाई की गयी।

खान मंत्रालय, भारत सरकार की नई गाइड लाईन दिनांक 24.06.2009 के आलोक में सर्वश्री मुकन्द लिमिटेड द्वारा खनन पट्टा के स्थान पर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में अपनी सहमति दिनांक 14—15/06/2010. को दिये जाने फलस्वरूप खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन)अधिनियम, 1957 की धारा 11(5) एवं खनिज अनुदान नियमावली,1960 के नियम 35 के प्रावधानों के अन्तर्गत् खनिज विकास एवं खनिज आधारित औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु प्राथमिकता निर्धारित की गयी है ।

निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर आवेदक सर्वश्री मुकन्द लिमिटेड के पक्ष में 135.00 हेक्टर क्षेत्र पर लौह/मैगनीज अयस्क (प्रथम अनुसूची खनिज) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। आवेदित क्षेत्र एवं आवेदक के पक्ष में दिये गये प्राथमिकता के दृष्टिकोण से बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नवत् है :–

1. प्रस्तावित क्षेत्र अपट्टित क्षेत्र(वर्जिन एरिया) और पूर्व में किसी भी व्यक्ति के साथ खनन पट्टा पर धारित नहीं रहा है ।
2. आवेदक सर्वश्री मुकन्द लिमिटेड झारखंड राज्य में कोई खनन पट्टा/खनिज अनुदान धारण नहीं करती है ।
3. झारखंड राज्य की गजट विज्ञापित औद्योगिक नीति अधिसूचना संख्या 1850/एम0 दिनांक 29.12.2001के आलोक में खान एवं भूतत्व विभाग,द्वारा खनिज अनुदान की स्वीकृति दिये जाने हेतु निर्धारित नीतिगत निर्णय एवं प्राथमिकता के अनुसार राज्य के अन्दर खनिज आधारित औद्योगिक प्लान्ट स्थापित करने वाले एवं खनिज के संवर्द्धन (वैल्यु ऐडेड) करने वालों को राज्य सरकार द्वारा खनिज अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राथमिकता निर्धारित किये जाने का प्रावधान है ।
4. आवेदक सर्वश्री मुकन्द लिमिटेड द्वारा झारखंड राज्य मेंलौह अयस्क खनिज पर आधारित उधोग 2(दो) मिलियन टन का इंटीग्रेटेड स्टील प्लान्ट, स्थापना किये जाने हेतु 4335.00 करोड़ रूपया पूँजी निवेश के प्रस्ताव पर राज्य सरकार के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित है । आवेदक कम्पनी द्वारा लौह /मैगनीज अयस्क पर आधारित उधोग श्रृंखला स्थापित किये जाने के प्रस्ताव पर हीं राज्य सरकार की गजट विज्ञापित नीति अधिसूचना संख्या 1850/एम0 दिनांक 29.12.2001 के अन्तर्गत धारा 11(5) के अन्तर्गत प्राथमिकता निर्धारित की गयी है ।
5. झारखण्ड राज्य में बेरोजगारों को जीविकोपार्जन के अधिकाधिक साधन उपलब्ध कराने की सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है साथ हीं यह प्रस्ताव राज्य के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है ।

6. राज्य सरकार के आंतरिक संसाधनों में खनिज पर प्राप्त होने वाले स्वामिस्व एवं वाणिज्य–कर के अतिरिक्त अन्य करों के माध्यम से उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी होगी ।

7. इस आवेदित क्षेत्र में लो ग्रेड उपलब्ध खनिज के सिलसिलेवार एवं वैज्ञानिक तरीके से विकास किये जाने की आवश्यकता है अतएव इस लो ग्रेड खनिज के उचित उपयोग की दृष्टिकोण से निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार आवेदक के पक्ष में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया है । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,1957 की धारा 11(5) के मापदण्ड के अनुसार आवेदक के संबंध में तकनीकी, खनिज आधारित औद्योगिक अनुभव,वित्तीय क्षमता के आधार पर आवेदक को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति दिये जाने हेतु प्राथमिकता दी गयी है ।

8. आवेदित क्षेत्र सुरक्षित वन सीमान्तर्गत पड़ता है । वन विभाग से सहमति पत्र प्राप्त किये जाने हेतु वन विभाग एवं संबंधित उपायुक्त केसमक्ष समुचित कार्रवाई की जायेगी ।

9. यथोक्त प्रस्तावित क्षेत्र का चेक लिस्ट,कम्परेटिव स्टेटमेन्ट एवं हस्ताक्षरित मैप इस पत्र के साथ संलग्न है ।

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1), 11(5)(मिनरल कंनेसन रूल्स, 1960 के नियम 35 के साथ सहपठित) के तहत् भारत सरकार की पूर्वानुमति प्रदान करने करने की कृपा की जाय ।

<u>अनुलग्नकः– यथोक्त</u>

विश्वासभाजन्

(हस्ताक्षर)

सरकार के उप सचिव